Rajat Pratap Singh and Dr. Amit Sharma (October 2022). Effect of Goods and Services Tax on hospitality industry of Western Uttar Pradesh
***International Journal of Economic Perspectives*,*16*(10),91-95**
Retrieved from https://ijeponline.org/index.php/journal

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अतिथि सत्कार उद्योग पर माल एवम् सेवा कर का प्रभाव

Rajat Pratap Singh and Dr. Amit Sharma
Research Scholar, I.P.College, Bulandshahr
Email: rajatranaip@gmail.com

सारांश

भारतीय कर के क्षेत्र में " माल एवं सेवा कर" का जन्म एक बड़े कर परिवर्तन का द्योतक है , जिससे माल एवं सेवाओं की आपूर्ति में आपूर्तिकर्ता से आपूर्ति प्राप्तकर्ता तक एक कर का जन्म हुआ है। अर्थात अतीत में प्रचलित कर की बहुकर व्यवस्था का अंत करके माल एवं सेवाकर की उत्पत्ति से भारतीय अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को सरल एवं आधुनिक बनाया गया है। जिसके फलस्वरूप उपभोक्ताओं को भिन्न - भिन्न करों के भार से राहत प्राप्त हुई है परन्तु इससे अतिथि सत्कार उद्योग के समक्ष बहुत से चुनौतियां भी खड़ी हुई है।

माल एवं सेवा कर के लागू होने के बाद से अतिथि सत्कार उद्योग के समक्ष बहुत से चुनौतियां खड़ी हुई दिखाई देने लगी है ,जिसमें अतिथि सत्कार उद्योग के आपूर्ति मूल्य में वृद्धि , व्यवसाय में गिरावट एवं लागतों में वृद्धि जैसी कुछ प्रमुख समस्याएं सामने आने लगी है।जिससे यह आशा की जाती है कि माल एवं सेवा कर का प्रभाव अतिथि सत्कार उद्योग पर प्रारम्भ में भले ही विपरीत व चुनौतिपूर्ण है परंतु दीर्घकाल में इसका प्रभाव उद्योग के हित में रहने की आशा भी है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में अतिथि सत्कार उद्योग का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है । इस कथन की प्रामाणिकता की पुष्टि वर्ष 2019 के आंकड़ों से की जा सकती है जिसके अनुसार अतिथि सत्कार उद्योग का योगदान भारत की सकल घरेलू उत्पादन में लगभग 6 प्रतिशत तक रहा है।

प्रस्तावना

विश्व पटल पर माल एवं सेवाकर लगभग 65 वर्ष पुराना हो चुका है क्योंकि विश्व में सबसे पहले ‘ माल एवं सेवाकर को सन्1954 ई. में फ्रांस द्वारा अपनाया गया था । इसके बाद अन्य देशों ने भी माल एवं सेवाकर व्यवस्था को धीरे – धीरे अपनाया ,वर्तमान में लगभग 165 देशों में माल एवं सेवाकर लागू है जिसमें भारत भी सम्मिलित है।

भारत में माल एवं सेवाकर का इतिहास लगभग 17 वर्ष पुराना है , भारत मेसर्वप्रथम वर्ष 2000 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री श्री असीमदास गुप्ता की अध्यक्षता में माल एवं सेवाकर के ऊपर रिव्यू के लिए एक कमेटी का गठन किया , जिसमें उन्हें माल एवं सेवाकर का पूरा मॉडल तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई ।जिसके उपरांत केलकरटास्क फोर्स ने माल एवं सेवाकर के रूप में अप्रत्यक्ष करों का एकीकरण करने की सलाह दी।

वर्ष 2006- 07 में तत्कालीन वित्त मंत्री ने बजटमें माल एवं सेवाकर को लागू करने का दिशा निर्देश जारी किया । मई 2007 में देश के विभिन्न राज्यों के राजस्व पर माल एवं सेवाकर के प्रभाव को जानने और माल एवं सेवाकर

© 2022 by The Author(s). (cc) BY ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Corresponding author: **Rajat Pratap Singh and Dr. Amit Sharma**
Submitted: 27 July 2022, Revised: 09 August 2022, Accepted: 18 August 2022, Published: October 2022

के क्रियान्वयन के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों की एक अधिकार प्राप्त कमेटी गठित की गई।वर्ष 2010 में तत्कालीन वित्त मंत्री ने अपने भाषण में घोषणा की थी कि माल एवं सेवाकर अप्रैल 2011 से लागू कर दिया जाएगा परन्तु किन्ही कारणों से ऐसा सम्भव न हो सका और वर्ष 2011 में लोकसभा में सभी वस्तु एवं सेवाओं पर माल एवं सेवा कर को लागू करने के लिए 115 वां संविधान संशोधन बिल लाया गया। वर्ष 2013 में स्थायी समिति ने माल एवं सेवाकर पर अपनी रिपोर्ट पेश की और नवंबर 2009 में सरकार द्वारापेट्रोलियम पदार्थों को माल एवं सेवा कर में शामिल करने के प्रस्तावएम्पावर्ड कमेटी ने खारिज कर दिया। वर्ष 2014 में 122 वां संविधान संशोधन लोकसभा में पास हो गया और उसके दो वर्ष बाद अगस्त 2016 में राज्यसभा ने भी इसे अपनी मंजूरी दी जिसके बाद सितंबर 2016 में राष्ट्रपति की मंजूरी भी प्राप्त हो गई। अगस्त 2016 में असम पहला राज्य बना जिसने माल एवं सेवा कर को मंजूरी दी। इसके उपरांत मई 2017 में माल एवं सेवाकर को लागू करने की घोषणा की गयी और 1 जुलाई 2017 से माल एवं सेवाकर को लागू कर दिया गया।

भारत में होटल उद्योग की विचारधारा कोई नई विचारधारा नहीं है।भारत की मूल भावना अतिथि देवोभव की रही है जिससे भारत में इस उद्योग में अपनी एक अहम भूमिका रही है। बींसवीं सदी होटल उद्योग में एक ऐसी सदी है जिसमें अनेक उद्यमी इस उद्योग में आए। होटल उद्योग मुख्यतः सेवा आधारित क्षेत्र है जिसमें अनेक प्रकार की सेवाएं उपभोक्ता को उपलब्ध कराई जाती है जिसमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं -

- खाद्य सामग्री में पेय पदार्थ उपलब्ध कराना।
- निवास हेतु कमरों की सुविधा उपलब्ध कराना।
- किराये की गाड़ी उपलब्ध कराना।
- कैटरिंग सेवाएं।
- लॉन्ड्री सेवाएं।
- क्लब आदि की सर्विस
- टेलीकॉम की सुविधाएं आदि

अध्ययन की दृष्टि से अतिथि सत्कार उद्योग को तीन श्रेणी में विभाजित किया गया है।

- उच्च बजट होटल
- मध्यम बजट होटल
- लघु बजट होटल

© 2022 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Corresponding author: **Rajat Pratap Singh and Dr. Amit Sharma**
Submitted: 27 July 2022, Revised: 09 August 2022, Accepted: 18 August 2022, Published: October 2022

अध्ययन के उद्देश्य

- ।अतिथि सत्कार उद्योग में माल एवं सेवा कर व्यवस्था से उत्पन्न चुनौतियों का अध्ययन करना।
- अतिथि सत्कार उद्योग में उद्यमियों के दृष्टिकोण से वैट एवं माल एवं सेवा कर व्यवस्था की तुलनात्मक समीक्षा का अध्ययन करना।
- अतिथि सत्कार उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों के दृष्टिकोण से वैट एवं माल एवं सेवा कर व्यवस्था की तुलनात्मक समीक्षा का अध्ययन करना।
- अतिथि सत्कार उद्योग में उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से वैट एवं जीएसटी व्यवस्था के तुलनात्मक समीक्षा का अध्ययन करना।
- अतिथि सत्कार उद्योग में उद्यमियों पर माल एवं सेवाकर व्यवस्था से वित्तीय भार में परिवर्तन का अध्ययन करना है।

उपलब्ध शोध साहित्य की समीक्षा

- **एन ए ब्राहिम एवं डॉ टॉमीमैथ्यू जनवरी 2019** ने केरल के होटलों के संबंध में माल एवं सेवा कर के प्रभावों का अध्ययन किया जिसमें संबंधित शोध पत्र में उन्होंने निष्कर्षतः बताया कि माल एवं सेवा कर की दरों के संबंध में केरल के अधिकांश होटल ने विश्वास प्रकट किया तथा माल एवं सेवा कर से पूर्ववर्ती अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के 200 को भी समाप्त किया जाना सुनिश्चित हुआ।
- **डॉक्टर सुरजनसिंह 2016** ने माल एवं सेवा कर के लागू होने के बाद उसके प्रभावों का अध्ययन किया जिसमें उन्होंने निष्कर्ष बताया कि माल एवं सेवाकर देश के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- **डॉक्टर नमिता मिश्रा 2018** ने माल एवं सेवाकर के प्रभाव का अध्ययन भारतीय अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में किया जिससे संबंधित शोध पत्र में उन्होंने निष्कर्षतः बताया कि माल एवं सेवा कर लागू होने का अर्थव्यवस्था पर धनात्मक प्रभाव पड़ेगा क्योंकि माल एवं सेवा कर से प्रत्यक्ष कर व्यवस्था सरल होगी।
- **दीक्षा पवार एवं सिद्धार्थ पात्रा 2017**ने भारत के रेस्टोरेंट्स एवं खाद्य सेवा व्यवसाय के संबंध में माल एवं सेवा कर के प्रभावों का अध्ययन किया जिससे संबंधित शोध पत्र में उन्होंने बताया कि वैट व्यवस्था में रेस्टोरेंट व्यवसाय अनेक करों के बोझ तले दबे हुए थे जिसे माल एवं सेवा कर व्यवस्था से खत्म कर एक कर से समायोजित किया गया। माल एवं सेवा कर से पूर्ववर्ती व्यवस्था से संबंधित विभिन्न कभी जीएसटी व्यवस्था द्वारा समाप्त किया गया।

© 2022 by The Author(s). (cc) BY ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Corresponding author: Rajat Pratap Singh and Dr. Amit Sharma
Submitted: 27 July 2022, Revised: 09 August 2022, Accepted: 18 August 2022, Published: October 2022

शोध प्रविधि

- प्रस्तुत शोध कार्य वर्णनात्मक प्रकृति का है इस अध्ययन में न्यादर्श विधि का प्रयोग करते हुए शोध क्षेत्र के प्रत्येक संभाग को सम्मिलित किया गया है।न्यादर्श का चयन प्रत्येक क्षेत्र की अतिथि सत्कार उद्योग की संख्या के आधार पर किया गया है जिससेन्यादर्श की इकाई में लगभग समानता रहे हो और शोध क्षेत्र के प्रत्येक संभाग का उचित प्रतिनिधित्व हो सके।
- न्यादर्शहेतु समंको का संकलन मुख्यतः प्राथमिक समंको पर आधारित है परंतु आवश्यकतानुसार द्वितीयकसमंको का प्रयोग भी किया गया है।
- प्राथमिक समंकों के संकलन हेतु मुख्यतः प्रत्यक्ष साक्षात्कार विधि एवं प्रश्नावली अथवा सूची विधि का प्रयोग किया गया है।

शोध परिकल्पना

प्रस्तुत शोध कार्य की शून्य परिकल्पना यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अतिथि सत्कार उद्योग पर माल एवं सेवा कर व्यवस्था का सार्थक प्रभाव पड़ा है।

शोध निष्कर्ष

भारत में माल एवं सेवाकर के लागू होने पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अतिथि सत्कार उद्योगपतियों द्वारा प्रारंभ में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जिससे उद्योग में प्रारंभिक लागत डिजिटल प्लेटफॉर्म की लागत में बढ़ोतरी हुई एवं होटल उद्योग पर लागू प्रारंभिक दरों से उद्योगपतियों ने असहमति जताई परन्तु रिवाइज्ड दरों पर अधिकांश उद्योगपतियों ने सहमति व्यक्त की। प्रायः देखने को आ रहा है की वैट प्रणाली की अपेक्षा माल एवं सेवा कर प्रणाली से उद्योग की आय में बढ़ोतरी हुई है और यह भी देखने को मिल रहा है की दीर्घकाल में माल एवं सेवा कर से होटल उद्योग को और भी आर्थिक मजबूती प्राप्त होगी।

© 2022 by The Author(s). (cc) BY ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Corresponding author: **Rajat Pratap Singh and Dr. Amit Sharma**
Submitted: 27 July 2022, Revised: 09 August 2022, Accepted: 18 August 2022, Published: October 2022

शोध संदर्भ

- जी एस टी एवं कस्टम कानून,प्रोफेसरश्रीपालसकलेचा, टैक्समैन पब्लिकेशन लिमिटेड नई दिल्ली।
- स्टूडेंट गाइड टू जीएसटी एवं कस्टम लॉ,डॉवीके सिंघानिया टैक्समैन पब्लिकेशन्स लिमिटेड नई दिल्ली।
- माल एवं सेवाकर, डॉ एचसीमेहरोत्रा, साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा।
- वस्तु एवं सेवाकर,डॉबीकेअग्रवाल,निरूपम साहित्य सदन आगरा।
- वस्तु एवं सेवाकर, डॉ गुप्ता एंड माहेश्वरी, संजय साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा।
- ए स्टडीऑन द इंपैक्ट ऑफ जीएसटी टैक्स रिफॉर्म्सऑन होटल इन केरल ,एन इब्राहिम एंड डॉक्टर टॉमीमैथ्यूज"इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़"(1 जनवरी 2019)।
- इंपैक्ट ऑफ जीएसटी ऑनरेस्टोरेंट एंड फूड सर्विस बिज़नेस "इंटरनेशनल जर्नल ऑफ अप्लाइड बिज़नेस रिसर्च"।
- ए स्टडीऑनइंपैक्ट ऑफ जी एस टीआफ्टरइनहैंसइम्प्लिमेंटेशन,डॉ काजल चौधरी(2 नवंबर 2016)।
- इंपैक्ट ऑफ जीएसटी ऑन इंडियन इकोनॉमी डॉ नमिता मिश्रा(8 नवंबर 2018)।

© 2022 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Corresponding author: **Rajat Pratap Singh and Dr. Amit Sharma**

Submitted: 27 July 2022, Revised: 09 August 2022, Accepted: 18 August 2022, Published: October 2022